

EXTRAORDINARY भाग II — खण्ड 1 PART II — Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 18] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2013/ वैशाख 3, 1935 (शक) No. 18] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2013/ VAISAKHA 3, 1935 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी आती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 23rd April, 2013/Vaisakha 3, 1935 (Saka)

REGISTERED NO. DL\_\_(N)04/0007/2003

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 22nd April, 2013, and is nereby published for general information:----

THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

(No. 14 of 2013)

[22nd April, 2013.]

An Act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under articles 14 and 15 of the Constitution of India and her right to life and to live with dignity under article 21 of the Constitution and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which includes a right to a safe environment free from sexual harassment;

AND WHEREAS the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognised human rights by international conventions and instruments such as Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, which has been ratified on the 25th June, 1993 by the Government of India;

AND WHEREAS it is expedient to make provisions for giving effect to the said Convention for protection of women against sexual harassment at workplace. BE it enacted by Parliament in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

#### CHAPTER I

### PRELIMINARY

Short title, I. (1) This Act may be called the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, extent and Prohibition and Redressal) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) "aggrieved woman" means-

(i) in relation to a workplace, a woman, of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;

(*ii*) in relation to a dwelling place or house, a woman of any age who is employed in such a dwelling place or house;

(b) "appropriate Government" means-

(i) in relation to a workplace which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly—

(A) by the Central Government or the Union territory administration, the Central Government;

(B) by the State Government, the State Government;

(*ii*) in relation to any workplace not covered under sub-clause (*i*) and falling within its territory, the State Government;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Local Complaints Committee nominated under sub-section (1) of section 7;

(d) "District Officer" means an officer notified under section 5;

(e) "domestic worker" means a woman who is employed to do the household work in any household for remuneration whether in cash or kind, either directly or through any agency on a temporary, permanent, part time or full time basis, but does not include any member of the family of the employer:

(f) "employee" means a person employed at a workplace for any work on regular, temporary, ad hoc or daily wage basis, either directly or through an agent, including a contractor, with or, without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, or working on a voluntary basis or otherwise, whether the terms of employment are express or implied and includes a co-worker, a contract worker, probationer, trainee, apprentice or called by any other such name:

(g) "employer" means-

(i) in relation to any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit of the appropriate Government or a local authority, the head of that department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit or such other officer as the appropriate Government or the local authority, as the case may be, may by an order specify in this behalf:

(ii) in any workplace not covered under sub-clause (i), any person responsible for the management, supervision and control of the workplace.

SEC. 1]

Explanation — For the purposes of this sub-clause "management" includes the person or board or committee responsible for formulation and administration of polices for such organisation;

(*iii*) in relation to workplace covered under sub-clauses (*i*) and (*ii*), the person discharging contractual obligations with respect to his or her employees;

(iv) in relation to a dwelling place or house, a person or a household who employs or benefits from the employment of domestic worker, irrespective of the number, time period or type of such worker employed, or the nature of the employment or activities performed by the domestic worker;

(h) "Internal Committee" means an Internal Complaints Committee constituted under section 4;

(i) "Local Committee" means the Local Complaints Committee constituted under section 6;

(i) "Member" means a Member of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be;

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(1) "Presiding Officer" means the Presiding Officer of the Internal Complaints Committee nominated under sub-section (2) of section 4;

(m) "respondent" means a person against whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9;

(n) "sexual harassment" includes any one or more of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication) namely:---

(i) physical contact and advances; or

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) making sexually coloured remarks; or

(iv) showing pornography; or

(v) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature;

(o) "workplace" includes-

(i) any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate Government or the local authority or a Government company or a corporation or a co-operative society;

(*ii*) any private sector organisation or a private venture, undertaking, enterprise, institution, establishment, society, trust, non-governmental organisation, unit or service provider carrying on commercial, professional, vocational, educational, entertainmental, industrial, health services or financial activities including production, supply, sale, distribution or service;

(iii) hospitals or nursing homes;

(iv) any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto;

(v) any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation provided by the employer for undertaking such journey;

-

### (vi) a dwelling place or a house;

(p) "unorganised sector" in relation to a workplace means an enterprise owned by individuals or self-employed workers and engaged in the production or sale of goods or providing service of any kind whatsoever, and where the enterprise employs workers, the number of such workers is less than ten.

3. (1) No woman shall be subjected to sexual harassment at any workplace.

(2) The following circumstances, among other circumstances, if it occurs or is persent in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment may amount to sexual harassment :----

(i) implied or explicit promise of preferential treatment in her employment; or

(ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment; or

(iii) implied or explicit threat about her present or future employment status; or

(iv) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or

(v) humiliating treatment likely to affect her health or safety.

#### CHAPTER II

### CONSTITUTION OF INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE

4. (1) Every employer of a workplace shall, by an order in writing, constitute a Committee to be known as the "Internal Complaints Committee":

Provided that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or sub-divisional level, the Internal Committee shall be constituted at all administrative units or offices.

(2) The Internal Committee shall consist of the following members to be nominated by the employer, namely :-

(a) a Presiding Officer who shall be a woman employed at a senior level at. workplace from amongst the employees:

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section (1):

Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or

(b) not less than two Members from amongst employees preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal.

(c) one member from amongst non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual

Provided that at least one-half of the total Members so nominated shall be women. (3) The Presiding Officer and every Member of the Internal Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, from the date of their nomination as may be

(4) The Member appointed from amongst the non-governmental organisations or (4) The proceedings of the Internal associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal butthe employer, as may be prescribed.

Prevention of

harassment.

sexual

(5) Where the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee,

(a) contravenes the provisions of section 16; or

(b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or

(c) he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or

(d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,

such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section.

### CHAPTER III

## CONSTITUTION OF LOCAL COMPLAINTS COMMITTEE

5. The appropriate Government may notify a District Magistrate or Additional District Notification Magistrate or the Collector or Deputy Collector as a District Officer for every District to Officer. exercise powers or discharge functions under this Act.

6. (1) Every Displict Officer shall constitute in the district concerned, a committee to be known as the "Local Complaints Committee" to receive complaints of sexual harassment from establishments where the Internal Complaints Committee has not been constituted due to having less than ten workers or if the complaint is against the employer himself.

(2) The District Officer shall designate one nodal officer in every block, taluka and tehsil in rural or tribal crea and ward or municipality in the urban area, to receive complaints and forward the same to the concerned Local Complaints Committee within a period of seven days.

(3) The jurisdiction of the Local Complaints Committee shall extend to the areas of the district where it is constituted.

7. (1) The Local Complaints Committee shall consist of the following members to be Composition nominated by the District Officer, namely:-

(a) a Chairperson to be nominated from amongst the eminent women in the field of social work and committed to the cause of women;

(b) one Member to be nominated from amongst the women working in block, taluka or tehsil or ward or municipality in the district;

(c) two Members, of whom at least one shall be a woman, to be nominated from amongst such non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, which may be prescribed:

Provided that at least one of the nominees should, preferably, have a background in law or legal knowledge:

Provided further that at least one of the nominees shall be a woman belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes or minority community notified by the Central Government, from time to time;

(d) the concerned officer dealing with the social welfare or women and child development in the district, shall be a member ex officio.

(2) The Chairperson and every Member of the Local Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, from the date of their appointment as may be specified by the District Officer.

tenure and other terms and conditions of Local Complaints Committee

Officer.

Constitution and jurisdiction of Local Complaints Committee

(3) Where the Chairperson or any Member of the Local Complaints Committee -

(a) contravenes the provisions of section 16; or

(b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or

(c) has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or

(d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,

such Chairperson or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section.

(4) The Chairperson and Members of the Local Committee other than the Members nominated under clauses (b) and (d) of sub-section (1) shall be entitled to such fees or allowances for holding the proceedings of the Local Committee as may be prescribed.

8. (1) The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, make to the State Government grants of such sums of money as the Central Government may think fit, for being utilised for the payment of fees or allowances referred to  $\cdot$  in sub-section (4) of section 7.

(2) The State Government may set up an agency and transfer the grants made under . sub-section (1) to that agency.

(3) The agency shall pay to the District Officer, such sums as may be required for the payment of fees or allowances referred to in sub-section (4) of section 7.

(4) The accounts of the agency referred to in sub-section (2) shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with the Accountant General of the Stare, be prescribed and the person holding the custody of the accounts of the agency shall furnish, to the State Government, before such date, as may be prescribed, its audited copy of accounts together with auditors' report thereon.

#### CHAPTERIV

#### COMPLAINT

9. (1) Any aggrieved woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee if so constituted, or the Local Committee, in case it is not so constituted, within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident:

Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee or the Chairperson or any Member of the Local Committee, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the woman for making the complaint in writing:

Provided further that the Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the said period.

(2) Where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise, her legal heir or such other person as may be prescribed may make a complaint under this section.

onciliation

10. (1) The Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee, may before initiating an inquiry under section 11 and at the request of the aggrieved woman take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation:

Grants and audit.

Complaint of sexual harassment.

Provided that no monetary settlement shall be made as a basis of conciliation.

(2) Where a settlement has been arrived at under sub-section (1), the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall record the settlement so arrived and forward the same to the employer or the District Officer to take action as specified in the

(3) The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall provide the copies of the settlement as recorded under sub-section (2) to the aggrieved woman and the respondent.

(4) Where a settlement is arrived at under sub-section (1), no further inquiry shall be conducted by the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be.

11. (1) Subject to the provisions of section 10, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall, where the respondent is an employee, proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent and where no such rules exist, in such manner as may be prescribed or in case of a domestic worker, the Local Committee shall, if prima facie case exist, forward the complaint to the police, within a period of seven days for registering the case under section 509 of the Indian Penal Code, and any other relevant provisions of the said Code where applicable:

45 of 1860.

Provided that where the aggrieved woman informs the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, that any term or condition of the settlement arrived at under sub-section (2) of section 10 has not been complied with by the respondent, the Internal Committee or the Local Committee shall proceed to make an inquiry into the complaint or, as the case may be, forward the complaint to the police:

Provided further that where both the parties are imployees, the parties shall, during the course of inquiry, be given an opportunity of being heard and a copy of the findings shall be made available to both the parties enabling them to make representation against the findings before the Committee.

45 of 1860.

5 of 1908

(2) Notwithstanding anything contained in section 509 of the Indian Penal Code, the court may, when the respondent is convicted of the offence, order payment of such sums as it may consider appropriate, to the aggrieved woman by the respondent, having regard to the provisions of section 15.

- (3) For the purpose of making an inquiry under sub-section (1), the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 when trying a suit in respect of the

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him following matters, namely:-

(b) requiring the discovery and production of documents; and on oath;

(c) any other matter which may be prescribed. (4) The inquiry under sub-section (1) shall be completed within a period of ninety

days.

### CHAPTER V

### INQUIRY INTO COMPLAINT

12. (1) During the pendency of an inquiry, on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, may recommend

Action during pendency of inquiry

into

inquiry

complaint

(a) transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace; or to the employer to---

(b) grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months; or

(c) grant such other relief to the aggrieved woman as may be prescribed.

(2) The leave granted to the aggrieved woman under this section shall be in addition to the leave she would be otherwise entitled.

(3) On the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, under sub-section (1), the employer shall implement the recommendations made under sub-section (1) and send the report of such implementation to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be.

Inquiry report.

.13. (1) On the completion of an inquiry under this Act, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall provide a report of its findings to the employer, or as the case may be, the District Officer within a period of ten days from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned parties.

(2) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has not been proved, it shall recommend to the employer and the District Officer that no action is required to be taken in the matter.

(3) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, it shall recommend to the employer or the District Officer, as the case may be-

(i) to take action for sexual harassment as a misconduct in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent or where no such service rules have been made, in such manner as may be prescribed;

(ii) to deduct, notwithstanding anything in the service rules applicable to the respondent, from the salary or wages of the respondent such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to her legal heirs, as it may determine, in accordance with the provisions of section 15:

Provided that in case the employer is unable to make such deduction from the salary of the respondent due to his being absent from duty or cessation of employment it may direct to the respondent to pay such sum to the aggrieved woman:

Provided further that in case the respondent fails to pay the sum referred to in clause (ii), the Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee may forward the order for recovery of the sum as an arrear of land revenue to the concerned

(4) The employer or the District Officer shall act upon the recommendation within sixty. days of its receipt by him.

14. (1) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer or the District Officer, as the case may be, to take action against the woman or the person who has made the complaint under sub-section (1) or sub-section (2) of section 9, as the case may be, in accordance with the provisions of the service rules applicable to her or him or where no such service rules

Provided that a mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof need not attract action against the complainant under this section:

Provided further that the malicious fittent on part of the complainant shall be established

after an inquiry in accordance with the procedure prescribed, before any action is

Punishment for false or malicious complaint and false evidence.

(2) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that during the inquiry any witness has given false evidence or produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer of the witness or the District Officer, as the case may be, to take action in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said witness or where no such service rules exist, in such

15. For the purpose of determining the sums to be paid to the aggrieved woman under clause (ii) of sub-section (3) of section 13, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have regard to---

(a) the mental trauma, pain, suffering and emotional distress caused to the aggrieved woman:

(b) the loss in the career opportunity due to the incident of sexual harassment;

(c) medical expenses incurred by the victim for physical or psychiatric treatment;

(d) the income and financial status of the respondent;

(e) feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

22 of 2005.

16. Notwithstanding anything contained in the Right to Information Act, 2005, the contents of the complaint made under section 9, the identity and addresses of the aggrieved woman, respondent and witnesses, any information relating to conciliation and inquiry proceedings, recommendations of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, and the action taken by the employer or the District Officer under the provisions of this Act shall not be published, communicated or made known to the public, press and media in any manner:

Prohibition of publication or making known contents of complaint and inquiry proceedings.

Penalty for .

publication 4

making kno. contents of

complaint and inquiry

proceedings

Appeal.

Determination

compensation

of

Provided that information may be disseminated regarding the justice secured to any victim of sexual harassment under this Act without disclosing the name, address, identity or any other particulars calculated to lead to the identification of the aggrieved woman and

17. Where any person entrusted with the duty to handle of deal with the complaint, witnesses. inquiry or any recommendations or action to be taken under the provisions of this Act, contravenes the provisions of section 16, he shall be liable for penalty in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person or where no such service rules exist, in such manner as may be prescribed.

18. (1) Any person aggrieved from the recommendations made under sub-section (2) of section 13 or under clause (i) or clause (ii) of sub-section (3) of section 13 or subsection (1) or sub-section (2) of section 14 or section 17 or non-implementation of such recommendations may prefer an appeal to the court or tribunal in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person or where no such service rules exist then, without prejudice to provisions contained in any other law for the time being in force, the person aggrieved may prefer an appeal in such manner as may be prescribed. (2) The appeal under sub-section (1) shall be preferred within a period of ninety days

of the recommendations.

### CHAPTER VI

DUTIES OF EMPLOYER

Duties of employer.

(a) provide a safe working environment at the workplace which shall include 19. Every employer shall-

safety from the persons coming into contact at the workplace. (b) display at any conspicuous place in the workplace, the penal consequences (b) display at any conspicuous prostituting, the Internal Committee under sub-of sexual harassments; and the order constituting, the Internal Committee under sub-

section (1) of section 4;

(c) organise workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitising the employees with the provisions of the Act and orientation programmes for the members of the Internal Committee in the manner as may be prescribed;

(d) provide necessary facilities to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, for dealing with the complaint and conducting an inquiry;

(e) assist in securing the attendance of respondent and witnesses before the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be;

(1) make available such information to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, as it may require having regard to the complaint made under sub-section (1) of section 9; \_\_\_\_\_ • •

(g) provide assistance to the woman if she so chooses to file a complaint in relation to the offence under the Indian Penal Code or any other law for the time being 45 of 1860. in force:

(h) cause to initiate action, under the Indian Penal Code or any other law for the 45 of 1860 time being in force, against the perpetrator, or if the aggrieved woman so desires, where the perpetrator is not an employee, in the workplace at which the incident of sexual harassment took place;

(i) treat sexual harassment as a misconduct under the service rules and initiate action for such misconduct;

(j) monitor the timely submission of reports by the Internal Committee.

### CHAPTER VII

DUTIES AND POWERS OF DISTRICT OFFICER

20. The District Officer shall,-

(a) monitor the timely submission of reports furnished by the Local Committee;

(b) take such measures as may be necessary for engaging non-governmental organisations for creation of awareness on sexual harassment and the rights of the women.

### CHAPTER VIII

### MISCELLANEOUS

Committee to submit annual report

21. (1) The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall in each calendar year prepare, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report and submit the same to the employer and the District Officer.

(2) The District Officer shall forward a brief report on the annual reports received under sub-section (1) to the State Government. 22. The employer shall include in its report the number of cases filed, if any, and their

Employer to disposal under this Act in the annual report of his organisation or where no such report is include information in required to be prepared, intimate such number of cases, if any, to the District Officer. annual report

Appropriate Government to monitor implementation and maintain data.

23. The appropriate Government shall monitor the implementation of this Act and maintain data on the number of cases filed and disposed of in respect of all cases of sexual

Appropriate Government to take measures to publicise the Act

24. The appropriate Government may, subject to the availability of financial and other resources,--

(a) develop relevant information, education, communication and training materials, and organise awareness programmes, to advance the understanding of the public of the provisions of this Act providing for protection against sexual harassment

Duties and powers of District Officer

10

(b) formulate orientation and training programmes for the members of the Local Complaints Committee.

25. (1) The appropriate Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest or in the interest of women employees at a workplace to do so, by order in

(a) call upon any employer or District Officer to furnish in writing such information relating to sexual harassment as it may require;

(b) authorise any officer to make inspection of the records and workplace in relation to sexual harassment, who shall submit a report of such inspection to it within such period as may be specified in the order.

(2) Every employer and District Officer shall produce on demand before the officer making the inspection all information, records and other documents in his custody having a bearing on the subject matter of such inspection.

26. (1) Where the employer fails to-

(a) constitute an Internal Committee under sub-section (1) of section 4;

(b) take action under sections 13, 14 and 22; and

(c) contravenes or attempts to contravene or abets contravention of other provisions of this Act or any rules made thereunder,

he shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.

(2) If any employer, after having been previously convicted of an offence punishable under this Act subsequently commits and is convicted of the same offence, he shall be liable

(i) twice the punishment, which might have been imposed on a first conviction, subject to the punishment being maximum provided for the same offence:

Provided that in case a higher punishment is prescribed under any other law for the time being in force, for the offence for which the accused is being prosecuted, the court shall take due cognizance of the same while awarding the punishment;

(ii) cancellation, of his licence or withdrawal, or non-renewal, or approval, or cancellation of the registration, as the case may be, by the Government or local authority required for carrying on his business or activity.

27. (1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder, save on a complaint made by the aggrieved woman or any person authorised by the Internal Committee or Local Committee in this behalf.

(2) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

(3) Every offence under this Act shall be non-cognizable.

28. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

29. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the fees or allowances to be paid to the Members under sub-section (4) of

section 4;

(b) nomination of members under clause (c) of sub-section (1) of section 7;

(c) the fees or allowances to be paid to the Chairperson, and Members under

sub-section (4) of section 7;

Power to call for information and inspection of records.

Penalty for

provisions of

noncompliance

with

Act.

Cognizance of offence by COULTS

Act not in

Power of

appròpriate

Government to make rules.

derogation of any other law.

2011

the

de

45 of 1860.

45 of 1860

(d) the person who may make complaint under sub-section (2) of section 9;

(e) the manner of inquiry under sub-section (1) of section 11;

(f) the powers for making an inquiry under clause (c) of sub-section (2) of section 11:

(g) the relief to be recommended under clause (c) of sub-section (1) of section 12;

(h) the manner of action to be taken under clause (i) of sub-section (3) of section 13:

(i) the manner of action to be taken under sub-sections (1) and (2) of section 14;

(i) the manner of action to be taken under section 17;

(k) the manner of appeal under sub-section (1) of section 18;

(1) the manner of organising workshops, awareness programmes for sensitising the employees and orientation programmes for the members of the Internal Committee under clause (c) of section 19; and

(m) the form and time for preparation of annual report by Internal Committee and the Local Committee under sub-section (1) of section 21.

(3) Every-rule made by the Central Government under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(4) Any rule made under sub-section (4) of section 8 by the State Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that .

Power to remove difficulties. 12

30. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

> P.K. MALHOTRA, Secy. to the Govt. of India.

### CORRIGENDA.

THE PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING (AMENDMENT) ACT, 2012

At page 18, in line 2, jor "Arts", read "Art" ge 21. In line 14. An "Protection", read "(Protection)".

### CORRIGENDUM

.13

THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT ACT, 2012 (3 of 2013)

At page 6, in line 22, for "clause", read "clause".

SEC. 1]

J

### CORRIGENDUM

### THE BANKING LAWS (AMENDMENT) ACT, 2012 (4 of 2013)

At page 8, in line 29, for 'sections 30",' read 'section 30,",'.

### CORRIGENDUM

### THE APPROPRIATION ACT, 2013

### (9 of 2013)

At page 1, in the marginal heading to section 2, for "4715,54,00,000", read "49715,54,00,000".

33004/99 REGD. NO. D. L



# SUN The Gazette of India

EXTRAORDINARY भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i) ं प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2013/अग्रहायण 18, 1935 सं. 593]. NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2013/AGRAHAYANA 18, 1935 No. 593]

महिला एवं बाल विकास मंत्रॉलय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 769(अ).--केंद्रीय सरकार, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीाडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्----संक्षिप्त नाम और प्रारम.---(1) इन नियमों का संक्षिप्त महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 है।

- - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिमाषाएं.--इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अप्रेक्षित न हो, -"अधिनियम" से कार्यस्थल पर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष)
  - अधिनियम, 2013 (2013 का 14) अभिप्रेत है; (क)
    - "शिकायत" से धारा 9 के अधीन की गई शिकायत अभिप्रेत है;
  - "शिकायत समिति" से आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति अभिप्रेत है; · (ख)
  - "घटना" से धारा 2 के खंड (ढ) में यंथा-परिभाषित लैंगिक उत्पीड़न की घटना अभिप्रेत है; (ग)
  - ·(ET)
  - "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है; "विशेष शिक्षक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विशेष जरूरतों वाले लोगों के साथ ऐसे ढंग से संचार (ङ)
  - ावशाथ रिश्वाफ रा भगर रही जातर का विस्तु के व्यक्तिगत मतभेदों एवं आवश्यकताओं का समाधान होता है; करने के लिए प्रशिक्षित है, जिससे उनके व्यक्तिगत मतभेदों एवं आवश्यकताओं का समाधान होता है; यहां शब्द और पद जो यहां प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित किए (च)
  - गए हैं, उनके अर्थ वहीं होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं। (छ)

  - .आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते :
- भेर-सरकारी संगठनों में नियुक्त सदस्य, आंतरिक समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 200 गैर-सरकारा सगठना म 1नयुक्त क्रम्प, जाया के प्रतास की मानवाल्या के आयाजन के लिए प्रतिदिन 200 रुपये के भत्ते के हकदार होंगे, और उक्त सदस्य रेलगाड़ी से थी टायर वातानुकूलन या वातानुकूलित बस से तथा आटोरिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि, जो भी, कम हो तथा आटोरिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर (1)
  - नियोक्ता उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भत्तों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा ।
  - (2)

5155 GI/2013

2

(घ) व्यथित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है । (ii) जहां व्यथित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा म शिकायत फाइल की जा सकती है (क) उसका नातेदार या मित्र, अथवा (ख) कोई विशेष शिक्षक; या				
<ul> <li>(a) समाज कार्य को देन भे कम से कम 5 साल के जुसुम वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओ के सामाजिक स्थितियों का युजन करने का गार्ग प्रश्नल करता है:</li> <li>(c) ऐसा व्यक्ति कि अध्यक्ष तक स्थतित के कार्यजाय पर तीयक उदसीइन की समस्या को पूर करने के लिए अनुकृत मिं सामाजिक स्थितियों का युजन करने का गार्ग प्रश्नल करता है:</li> <li>(c) ऐसा व्यक्ति के अध्यक्ष तक स्थति के कार्यजादियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रूपये दी से प्रथान करता है:</li> <li>(c) स्थानीय समिति के अध्यक्ष तक समिति के कार्यजादियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रूपये दी से प्रथान एये। के संके ते लिए इकदार होगे।</li> <li>(c) स्थानीय समिति के अध्यक्ष तक समिति के कार्यजादियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रूपये दी से प्रथान करता ता के की कर्य के मते के हकदार होगे।</li> <li>(c) सार्वात की तीय क्रावातियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 1 से स्थानीय सामिति के सरदय, उक्त सतिति को कार्यजादीयों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 1 का स्वाती से का स्वात करते में की कवयर होगे।</li> <li>(c) पांच के थी रेष प्रात्वतिक तागत को नी कहा ही कि भी कवयर होगे।</li> <li>(c) जिला अधिकारी, उपनियन (1) और उपनियम (2) में निरिष्ट सत्यों के महित्व रहीगे।</li> <li>(d) जिला अधिकारी, उपनियन (1) और उपनियम (2) में निरिष्ट मत्तो के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा।</li> <li>वैंतिक अदिलन की निकायत : प्राराउ की उप- बांत (2) के प्रयोजन के लिए.</li> <li>(f) जहा व्यकिन महिला, अपनी मानलिक असमता के कारण जिकायत करने में असमर्थ है, वहां निन्नलिखित हाल शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(f) उसका मतिराय या नित्र ; असवा ;</li> <li>(g) उसका महिला आयोग या राख्य नहिला आयोग का कोई अधिकारी; या ार्ग राखिन प्रति के प्रार्थ के प्रति के ति क्षेत के कारण होताये प्रार्थ के प्रसम्ध है । वहां निम्ललियित हाल शिकायत फाइल की जानलकरी है ।</li> <li>(f) जहा व्यकित महिला आयोग या पाख्य कि कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निन्नलिखित हाल शिकायत फाइल की जा सकती है - (2) क्रांत के स्वलक या प्रारिक्ति की स्वर्य के स्वर्त के ति क्या ति के स्वर्य के करा के कारण ते शिकायत प्रार्थ के स्वर्य हिंत निर्वित करा के करा यहा हिंत के सिंह की सामित के स्वर्य प्रार का के कारण शिकायत करते है कि साथ संयुक्त कि या संक्रांत का साम्य के अधीन यह प्व</li></ul>	Y 4. लिए विशे	0114	क अत्यादन से प्रभावरा गया से प्राणमें जेनक जेनक जेनक देवती देव से संबंधित महा क	
<ul> <li>(छ) एसा व्यक्ति जिसे आग, रोजगाए, सिविल या दाढिक विधि में अहंता प्रायत है।</li> <li>स्थानीय समिति के अव्यक्त तक सानित को कार्यजाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रुपये (दो सी पयास जपये) के मंसे के लिए हकदार होंगे।</li> <li>() धारा 7 की उप-चारा (1) के खंड (व) की कार्यजाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रुपये (दो सी पयास जपये) के मंसे के लिए हकदार होंगे।</li> <li>(2) धारा 7 की उप-चारा (1) के खंड (व) की कार्यजाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 21 सी रुपये के मंसे के हरुपरां होंगे के संतर से लिय की मंसे के स्वर्ण प्रात्त कि कार्यजाहियों के सोकजन के लिए प्रतिदिन दो सी रुपये के मंसे के हरुपरां होंगे के संतरा की सी की वार्यजाती के बातान के लिए प्रतिदिन दो सी रुपये के मंसे के हरुपरां होंगे के संतार बी की पर उपराय प्रात्र पर उसके गर हारा जिया अविकार, उपरिचय (मित्र ) भी लिदिक लता के संतरा के लिए उतराय पी छी। जा प्रतत्त वारा के जी कार्यजात क से राय आदिति हा या टेक्स के मंसे के हरुपरां होंगे के संतरा के लिए उतराय पी छोंगा।</li> <li>(6) जिला अधिकारी, उपरिचय (1) और उपलिचय (2) में मितदिक लता के संतरा के लिए उतराय पी छोंगा।</li> <li>(7) जाई वायित महिला अपनी या राय राय महिला आयोग का कोई अधिकारी? या</li> <li>(8) उसका गतिराय या तिव, अथवा ?</li> <li>(9) उसका गतिराय या तिव, अधवा ?</li> <li>(9) उसका गतिराय या तिव, अधवा ?</li> <li>(10) उद्योधित महिला, अपनी या रात्ति के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाल शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(10) उसका गतिराय, या तिव, अधवा के लारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाल शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(10) उसका पतिराय, या तिव, अधवा विक्त देखाय या देखरेख प्रात कर रही है, अथवा.</li> <li>(3) उसका गतिराय या निव आधीम यह उपपया या देखरेख प्रात कर रही है, अयवा.</li> <li>(4) संसक या प्राक्रिक की आगि बह उपपया या देखरेख प्रात कर रही है, असाय .</li> <li>(9) उसके मतिराय पा सिके अधीन वह उपपया या देखरेख प्रात कर रही है, अयवा.</li> <li>(9) उस व्या प्रक्रिय ति को आग सकती है. जिप या देखरेख प्रात कर रही है, के साथ संयुक्त रुप संसरक या संतरक अववा प्रक्रिय या प्रत्त की जा सकती है.</li> <li>(10) का व्यवित मितित कि ती पाय पा देखरेक सिक की जानकरो है।</li> <li>(11) उत्ता व्य</li></ul>			(क) समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 साल के अनुभव वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के सशक्तीकरण तथा विशिष्टतया कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या को दूर करने के लिए अनुकूल सामाजिक स्थितियों का सृजन करने का मार्ग प्रशस्त करता है;	1- 1-
<ul> <li>र्स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सपरभों के लिए फीस'या मता: <ul> <li>(1) स्थानीय समिति के अध्यक्ष उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रुपये (दो सौ पयास उपपो के भने के लिए कतरार होने।</li> <li>(2) धारा 7 की उप-चारा (1) के खंड (ख) और खंड (1) के अधीन नामनिर्दिन्ट सदस्यों से मिन्न स्थानीय समिति के सरदस्य, उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दो सो रूपये के भने के हकवार होने और रारदस्य, उक्त समिति को कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दो सो रूपये के भने के हकवार होने और रारदस्य, उक्त समिति को कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दो से स्थायों यात्रा पर उन्छ के 1 होरा खर्च की गई वास्तविक लागत जो भी कम हो, की प्रतिद्वित दे सी स्वययों यात्रा पर उन्छ के 1 होरा खर्च की गई वास्तविक लागत जो भी कम हो, की प्रतिद्वित के संवर होंगे।</li> <li>(3) जितां अधिकरारी, उपनियम (1) और उपनियम (2) मैं निर्दिन्ट बतों के संयाय के लिए उत्तिरायों होगा ।</li> <li>वींगिक उत्तपित्न की शिकायत: वारा 9 की उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिए.</li> <li>(1) जहां व्यधित महिला, अपनी शांशिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाग शिकायत फाइस की जा सकती हे –</li> <li>(4) जसका सहकर्मी, या</li> <li>(7) राष्ट्रीय महिला आतीग पाराख महिला आयोग का कोई अधिकारी, या</li> <li>(8) जसका सहकर्मी, या</li> <li>(9) जहां व्यधित महिला, अपनी मानतिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाग शिवायत फाहस की जा सकती हे –</li> <li>(7) कोई अहित मनोविकार विज्ञानी या मनोदेज्ञानिक; अथवा</li> <li>(8) कसक वा प्रविकारी विन ने वर्वा या वेराख प्रात्म कर रही है, अथवा.</li> <li>(9) कहां व्यधित महिला, किसी का वह उपचाय या देखरेख प्रात्म कर रही है, अथवा</li> <li>(9) कहां व्यविकारी जिपल क्योन वह क उपचाय या देखरेख प्रात्म कर रही है, अथवा.</li> <li>(8) उसके नातेतर या मित्र, अथवा वहें तो या प्रतेख प्रात्म रर ही है, अथवा</li> <li>(9) कहां व्यविक गतिक राती ही को पार करने में असमर्थ है, हो खा सतित सा से के अंवया प्रात्क अंवा वह हक या सरिक्त तिमिक त्या संखक व्यवा प्रतिकार की जा सकती है ।</li> <li>(10) कहां व्यविकारी जिपक क्योन वह क उपचाय या देखरेख प्रात्म कर रही है, अथवा</li> <li>(9) कराक मारिका की मृत्य हो खिकयत करने</li></ul></li></ul>			(ख) ऐसा व्यक्ति जिसे श्रम, रोजगार, सिविल या दांडिक विधि में अर्हता प्राप्त है।	8.
<ul> <li>(1) स्थानीय समिति के अध्यक्ष एक समिति को कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रुपये (दी सी पयास रुपये) के भत्ते के लिए इकतर होगे।</li> <li>(2) मारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग्र) के उद्यीन नामनिर्दिट सदस्यों से निन्न स्थानीय समिति के सरदर्प, उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दो सी रुपये के भत्ते के हकदार होंगे और रेलरप, उक्त समिति की नार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दो सी रुपये के भन्ते के हकदार होंगे और रेलरप, उक्त समिति की गई वातानुकूतन वातनुकूतित बस से तथा आटोरिकसी मा अर्थ्य के भने के हकदार होंगे।</li> <li>(3) जिला अधिकारी, उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिट मत्तों के संदाय के लिए उत्तररदायी होगा ।</li> <li>तैंगिक उत्तीइन की शिकायत : पाएं 9 की उप-धार (2) के प्रयोजन के लिए.</li> <li>(4) जवां व्यवित महिला, अपनी पारीर असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाता शिकायत फाइल की जा सकती है -</li> <li>(5) उसका नातेदार या मित्र, अथवा</li> <li>(7) राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी, या</li> <li>(8) उसका नातेदार या मित्र, अथवा</li> <li>(9) उसका नातेदार या मित्र, अथवा</li> <li>(10) जहां व्यवित महिला, त्रिपनी विज्ञानी या मनोदेज्ञतिक; अथवा</li> <li>(11) जहां व्यवित महिला, त्रिया या निर्ण के अधिन वह उपकार करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाता शिकायत फाइल की जा सकती है -</li> <li>(7) राष्ट्रीय महिला, त्रिया विज्ञानी मा मनोदेज्ञतिक; अथवा</li> <li>(9) उसका नातेदार या मित्र, अथवा</li> <li>(9) उसके नातेदार या विज्ञ विज्ञानी या मनोदेज्ञतिक; अथवा</li> <li>(11) कोई आईदि मनोविकारी विज्ञानी वा मनोदेज्ञतिक; अथवा</li> <li>(12) चर्कत या प्राधिकरी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, अथवा</li> <li>(13) जहां दार्वा किस की राण्य से दिल की जानकारी है।</li> <li>(14) लाई को हो लोग उप मित्र या विरेष दिका प्रात्ति कर रही है, के साथ संयुक्त रुप मं से अं व्यकि अथवा प्रावित की तार्य ता देखते का जात्तरा ही।</li> <li>(14) तति के कार्य ने दिताल का स्रात्त ति कार्य देत्र की जानकारी है।</li> <li>(14) जहां वार्य ता करती है, जिसे घटना की जानकार हारा उसकी विधिक तममति से ऐसे व्यकि द्यारा रिकाल तील वे लि के जारण सी रिकाल करांती है।</li> <li>(16) जहां</li></ul>	5.		स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या मत्ता :	
<ul> <li>संदर्भ, उक्ते सामति को कार्यवादियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दो सी रुपय के मा के क्रम्पत होंगे आ रहा वातुकुतूलन, वातानुकूलन, बासा-कूत्री का आयोजिया था देवसी से अथया यात्रा पर उसके मा हाए खर्च की गई वासतविद्ध तात्रा जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के मी हकदार होंगे।</li> <li>(3) जिला अधिकारी, उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट करतों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा ।</li> <li>वैंगिक उत्सीइन की शिकायत : हाए। 9 की उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिए.</li> <li>(4) जहां व्यधित महिला, अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाए शिकायत फाइत की जा सकती है –</li> <li>(4) जहां व्यधित महिला जायोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी: या</li> <li>(5) उसका सहकर्मी, या</li> <li>(7) राष्ट्रीय महिला जी विधिव सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(8) उसका सहकर्मी, या</li> <li>(9) जहां व्यधित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाए शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(9) उसका सहकर्मी, या</li> <li>(10) जहां व्यधित महिला की विधिव सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(11) ज्वहां व्यखित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाए शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(11) जहां व्यधित महिला की विधिव सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति प्रात कर रही है, अथवा</li> <li>(2) कपका नातेदार या मित्र, अथवा</li> <li>(2) कई ती तगोदिकर विज्ञानी या मनोदेझानिक; अथवा</li> <li>(12) कोई अहिंत मनोविकार विज्ञानी या मनोदेझानिक; अथवा</li> <li>(2) कई का तातेदार या निरंत अधीग शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी तिखित सम्मति से संसक अथवा प्रायिकरी जिसक अधीन वह उपचार या देवरेख प्रापत कर रही है, अथवा</li> <li>(3) उत्तर वाकी की जारण सी शिकायत करने में असमर्थ है वहा उसकी तिखित सम्मति से ऐसक व्यात विकार की जाती है वहां एक शिकायत तरहत ही सिक जा सर्वल के आत्र हो गरा कर रही है, जियवा</li> <li>(4) जहां वयित महिला की मृत्यु ही जाती है वहा एक शिकायत, पटन रही है, के साथ संत्रे तिथिक वासिस की समत हो ता ति सरती ते जिसे कराण सर्वत के तियित तर्व सं संत वे सत्त हे हारा प्रात के ता सकती है नि प्राति करा करते ने आत्र की तात्र कर</li></ul>			स्थानीय समिति के अध्यक्ष उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रुपये (दो सौ पचास	
<ul> <li>वींगिक उत्पीडन की शिकायत : घारा 9 की उप-धात (2) के प्रयोजन के लिए.</li> <li>(1) जहां व्यधित महिला, अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ हैं. वहां निम्नलिखित हाय शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(क) उसका नातेदार या मिन्न ; अध्या ;</li> <li>(ख) उसका सहकर्मी; या</li> <li>(ग) राष्ट्रीय महिला आयंग या राष्य महिला आयंग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(1) राष्ट्रीय महिला आयंग या राष्य महिला आयंग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(1) राष्ट्रीय महिला आयंग या राष्य महिला आयंग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(11) राष्ट्रीय महिला आयंग या राष्य महिला आयंग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(12) व्यधित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाय शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(13) जहां व्यधित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाय शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(14) उसके नातेदार या निन्न अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाय शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(15) उसके नातेदार या निन्न आधान या मनोवैज्ञानिक; अथवा</li> <li>(17) कोई अहिंत मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञातिक; अथवा</li> <li>(18) संरक्षक या प्रधिकारी विज्ञानी या मनोवैज्ञातिक; अथवा</li> <li>(29) चाई कर्तातेदार या दोरस वा विशिष शिक्षक या अर्हता–प्राल मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक अथवा प्रधिकारी लिगक जर्थान पर शिक्षक अथवा प्रखते काने तरा च राखरख प्राप्त कर रही है, अथवा.</li> <li>(18) चाई वयिक राध्त की कानकरा है ।</li> <li>(19) जहां व्यकित महिला की मृत्यु हो जाती है वहा एक शिकायत, घटना के जानकार हारा जसको द से कोई ऐसा व्यक्ति जिया साहती है जिसे घटना की जानकरी है ।</li> <li>(10) राहा व्यधित महिला की मृत्यु हो जाती है वहा एक शिकायत, घटना के जानकार हारा उसके विधिक वासि की सम्मति से लिखित राध्य शिकायत की प्रा के स्था शिकायत का कि अध्यान सिकायत सालिति के प्रस्तुत करेगा ।</li> <li>7 शिकायत की चां व रंग –</li> <li>(1) रिकायत साहते हो पिया रा 11 के उपबंधों के अध्यान शिक्यातकर्ता समिता से प्रार प्रतियों में से एक प्रति या कार्य हो का साहित्य के अत्या के तेता साहियों के नाम एवं पता के आख कियायत की फि राय्य के कि भति प्रत्य सारि वे तास कार्य क</li></ul>	•	(2)	सदस्य, उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दो सी रूपय के मत के हकदार होंगे आर रेलगाड़ी से थी टायर वातानुकूलन, वातानुकूलित बस से तथा आटोरिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक लागत जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।	उन
<ul> <li>वींगिक उत्पीडन की शिकायत : घारा 9 की उप-धात (2) के प्रयोजन के लिए.</li> <li>(1) जहां व्यधित महिला, अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ हैं. वहां निम्नलिखित हाय शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(क) उसका नातेदार या मिन्न ; अध्या ;</li> <li>(ख) उसका सहकर्मी; या</li> <li>(ग) राष्ट्रीय महिला आयंग या राष्य महिला आयंग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(1) राष्ट्रीय महिला आयंग या राष्य महिला आयंग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(1) राष्ट्रीय महिला आयंग या राष्य महिला आयंग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(11) राष्ट्रीय महिला आयंग या राष्य महिला आयंग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(12) व्यधित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाय शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(13) जहां व्यधित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाय शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(14) उसके नातेदार या निन्न अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित हाय शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(15) उसके नातेदार या निन्न आधान या मनोवैज्ञानिक; अथवा</li> <li>(17) कोई अहिंत मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञातिक; अथवा</li> <li>(18) संरक्षक या प्रधिकारी विज्ञानी या मनोवैज्ञातिक; अथवा</li> <li>(29) चाई कर्तातेदार या दोरस वा विशिष शिक्षक या अर्हता–प्राल मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक अथवा प्रधिकारी लिगक जर्थान पर शिक्षक अथवा प्रखते काने तरा च राखरख प्राप्त कर रही है, अथवा.</li> <li>(18) चाई वयिक राध्त की कानकरा है ।</li> <li>(19) जहां व्यकित महिला की मृत्यु हो जाती है वहा एक शिकायत, घटना के जानकार हारा जसको द से कोई ऐसा व्यक्ति जिया साहती है जिसे घटना की जानकरी है ।</li> <li>(10) राहा व्यधित महिला की मृत्यु हो जाती है वहा एक शिकायत, घटना के जानकार हारा उसके विधिक वासि की सम्मति से लिखित राध्य शिकायत की प्रा के स्था शिकायत का कि अध्यान सिकायत सालिति के प्रस्तुत करेगा ।</li> <li>7 शिकायत की चां व रंग –</li> <li>(1) रिकायत साहते हो पिया रा 11 के उपबंधों के अध्यान शिक्यातकर्ता समिता से प्रार प्रतियों में से एक प्रति या कार्य हो का साहित्य के अत्या के तेता साहियों के नाम एवं पता के आख कियायत की फि राय्य के कि भति प्रत्य सारि वे तास कार्य क</li></ul>		(3)	जिला अधिकारी, उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट मत्तों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा ।	-
<ul> <li>(i) जहां व्यथित महिला, अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(क) उसका नातेदार या मित्र ; अथवा ;</li> <li>(ख) उसका सहकर्मी, या</li> <li>(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(घ) व्यधित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(घ) व्यधित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(घ) जहां व्यथित महिला की तिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(व) जहां व्यथित महिला की तिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(घ) व्यक्त नातेदार या मित्र ; अथवा</li> <li>(ख) कोई विशेष शिक्षकः या</li> <li>(ग) कोई अहिंत मनोविकार विज्ञानी या मनोवैझानिक; अथवा</li> <li>(ख) कोई विशेष शिक्षकः या</li> <li>(ग) कोई अहिंत मनोविकार विज्ञानी या मनोवैझानिक; अथवा</li> <li>(द) उसक नातेदार या पित्र अधीन वह उपधार या देखरेख प्राप्त कर रही है, अथवा.</li> <li>(इ) उसके नातेदार या दारत या विशेष शिक्षक या अर्हता-प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैझानिक या संसक अथवा प्राविकारी जिसके अधीन वह उपधार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यति जिसे तैगिक उप्तीइन की जानकारी है।</li> <li>(ख) जर्क नातेदार या दारत या विशेष शिक्षक या अर्हता-प्राप्त मनोविकार विज्ञानि या मनोवैझानिक या संसक अथवा प्राति को से तिन कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यिक तासे तैं कि ट्वारा की जानकारी है।</li> <li>(ii) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उत्ति त्र सि की की समर्थ में इं ह जा सकनी है।</li> <li>(iv) जहां व्यथित मिरा वर पा 1 के उपबंधी के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साधिये के नाम एवं पता के साथ शिकायत की फर प्रति को जासकेगी ।</li> <li>7 शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधी के अध्यधीन शिकायतकर्त समर्थ द स्तावेजों तथा साधिये के नाम एवं पता के साथ शिति को आपत्त की को तथा साधिये के नाम एवं पता के भाव्य सिति की प्रत्य प्रति को जात सिरी के अधीन व्यक्ति को प्रति प्र प्रति मे साधि ये अर्वा के अधीन वाधित का प्रत्त न</li></ul>	6.	. 2		
<ul> <li>(फ) उसका सहकर्मी; या</li> <li>(ख) उसका सहकर्मी; या</li> <li>(प) राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(प) राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(प) व्यधित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(u) व्यधित महिला की जिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(u) जहां व्यधित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नतिखित द्वारा मित्र; अधवा</li> <li>(ख) कोई विरोष शिक्षक, या</li> <li>(ग) कोई अहिंत मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक; अथवा</li> <li>(घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, अथवा</li> <li>(ङ) उसके नातेदार या दोस्त या विरोष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, अथवा</li> <li>(ङ) उसके नातेदार या दोस्त या विरोष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रुप से कोई ऐसा व्यक्ति जिस तैंगिक उत्पीड़न की जानकारी है।</li> <li>(ii) जहां व्यधित महिला किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार हारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकती है।</li> <li>(v) जहां व्यधित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार हारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकती ।</li> <li>राकायत की जांच का ढंग –</li> <li>(१) शिकायत प्रात हो में प्र, शिकायत समिति उपनियम (१) के अधीन वयित महिला स प्राप्त प्रतियों में एक प्रतियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत समिति उपनियम (१) के अधीन वयित महिला से प्राप्त प्रतियों के नाम एवं पता की आख शित्र प्रत्यों के नाम एवं पता के अवधि के भीतर प्रत्य्यी के के नेना ।</li> <li>शिकायत तार्वत तो वा वची के नात प्रत्य्यों के नाम एवं पता के आधा शिकायत समिति को प्राप्त के नाम एवं पता की अवधि के नास एक प्रत्य्यों के नाम एवं पता के अचधि के जान करेगा।</li> <li>शिकायत का</li></ul>	• 5	(i) <u>s</u>	नहां व्यथित महिला, अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा	
<ul> <li>(ख) उसका सहकर्मी; या</li> <li>(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(ग) राष्ट्रीय महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(ii) जहां व्यधित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(क) उसका नातेदार या मित्र; अथवा</li> <li>(ख) कोई विशेष शिक्षक, या</li> <li>(ग) कोई अर्हित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक; अथवा</li> <li>(घ) लक्षं विशेष शिक्षक, या</li> <li>(ग) कोई अर्हित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक; अथवा</li> <li>(घ) लक्षके नातेदार या या रोसक अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है; अथवा.</li> <li>(ङ) उसके नातेदार या या रोसक अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रुपया प्रार्थिक प्रार्थित प्रार्थित परिक प्रधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रुप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रा संखक अधवा प्रार्थित गिरिक उसीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रुप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रुप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रुप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रुप से कोई ऐसा व्यक्ति कियात फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।</li> <li>(ii) जहां व्यधित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकती गे।</li> <li>7. शिकायत फाइल करते समय, घारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्कता समर्थक दस्सावेजों तथा साक्षिय के नाम एवं पता के साथ शिकायत समिति के प्रस्तुत करेगा।</li> <li>(शे कायत कार्य दीने पर शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्ययित महिला से प्रार्त प्रतियों में एक प्रति तेतात कर्य दिवस की अवधि के नातर प्रत्यों को भेजेगी।</li> <li>(शे कियत प्राप्त छोने पर शिकायत समिति के प्रस्था के नाम एवं पता के साथ शिकायत समिति के आवधि के नाम एवं पता के स्वार्य के नाम एवं पता के साध शिकायत को का प्रारि ने नाथ के जित्र ति मेह करना।</li></ul>		. (	क) उसका नातेदार या मित्र : अथवा :	19
<ul> <li>(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी; या</li> <li>(घ) व्यथित महिला की तिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(ii) जहां व्यथित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नतिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(क) उसका नातेदार या मित्र, अथवा</li> <li>(a) कोई विशेष शिक्षक; या</li> <li>(ग) कोई अहिंत मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक; अथवा</li> <li>(घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, अथवा.</li> <li>(अ) उसके नातेदार या सित्र या विशेष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रुप से कोई ऐसा व्यक्ति तीयिक रपडिज ने जानकारी है।</li> <li>(ii) जहां व्यथित महिला, किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा गिक रे तीयिक रपडिज की जानकारी है।</li> <li>(iii) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके वीधिक वासिर की सम्मति से लिखित राम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।</li> <li>(v) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वासिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकती ।</li> <li>7. शिकायत फाइल करते समय, घारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छाड प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।</li> <li>(2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात करी विवाय की आदि के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फराता।</li> <li>(4) शिकायत समिति के आवी विशियि दस्तावेजों की प्राप्त की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के मीतर प्रत्वार्यों को माम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फरात।</li> <li>(4) शिकायत समिति के लोव की कार्यव सिद्धतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(5) अर्वर्थी जि मिती ने लाय के सिद्धतों के अनुसार शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(6) शिकायत समिति के जांव की कार्यव ते माम एवं</li></ul>				मे रा
<ul> <li>(ए) व्यथित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।</li> <li>(ii) जहां व्यथित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(क) उसका नातेदार या मित्र, अथवा</li> <li>(ख) कोई विशेष शिक्षक, या</li> <li>(ग) कोई अर्हित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक, अथवा</li> <li>(घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, अथवा.</li> <li>(ङ) उसके नातेदार या विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक, अथवा</li> <li>(घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, अथवा.</li> <li>(ङ) उसके नातेदार या वरेत्त या विशेष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिस लैगिक उत्पीडन की जानकारी है।</li> <li>(iii) जहां व्यथित महिला कि सी करण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है.</li> <li>(iii) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की समती से रोय कायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है.</li> <li>(iv) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की समाति से लिखित रूप में फाइल की जा सकेनी ।</li> <li>7. शिकायत काइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।</li> <li>(२) शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यधित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सार्व विधिक विधा के भीतर दस्तावेजों को भाव शिकायत समिति को प्रस्तु करेगा।</li> <li>(२) शिकायत समिति ने आव साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।</li> <li>(३) शिकायत समिति को का साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना जरूर फाइल करेगा।</li> <li>(३) श्रिकाय समिति को को का या साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर पर अना करे</li></ul>	• •	5		II.
<ul> <li>(ii) जहां व्यथित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है –</li> <li>(क) उसका नातेदार या मित्र, अथवा</li> <li>(ख) कोई विशेष शिक्षक, या</li> <li>(ग) कोई अर्हित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक; अथवा</li> <li>(घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, अथवा.</li> <li>(ङ) उसके नातेदार या वरेस्त या विशेष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोवैक्वानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, अथवा.</li> <li>(ङ) उसके नातेदार या दोस्त या विशेष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिस तैगिक उत्पीडन की जानकारी है।</li> <li>(iii) जहां व्यथित महिला कि सी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है.</li> <li>(iv) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की समाति से लिखित रूप में फाइल की जा सकती !</li> <li>7. शिकायत काइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छाइ प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।</li> <li>(२) शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की छड प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।</li> <li>(२) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्त की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के नीतर दस्तावेजों के सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के स्था साक्षियों के नाम एवं पता के स्था साक्षियों के नाम एवं पता के स्ता स्ति के अन्यर्था को भोजेगे।</li> <li>(३) प्रत्यर्थी उमे वित्त की अवधि के नीन एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।</li> <li>(३) प्रत्यर्थी उमेनिक न्याय के सिदातों के अनुसार, शिकायत की जांच करोगे।</li> <li>(३) शिकायत समिति को जांच को कार्याक्षे सनार करने या शिकायत पर कपना उत्तर फाइ करेगा।</li> <li>(३) शिकायत समिति को जांच को कार्याक्ष स्व नाम एवं पता के साथ शिकायत पर करां हो कार्या की जांच जा रात्त ही जां करेगा।</li> <td>10.25</td><td></td><td></td><td>10</td></ul>	10.25			10
<ul> <li>(क) उसका नातेदार या मित्र, अथवा</li> <li>(ख) कोई विरोष शिक्षक; या</li> <li>(ग) कोई आर्हेत मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक; अथवा</li> <li>(घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही हैं, अथवा</li> <li>(ड) उसके नातेदार या दोरस या विशेष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लैंगिक उत्पीड़न की जानकारी है।</li> <li>(ii) जहां व्यथित महिला, किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।</li> <li>(iii) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकती !</li> <li>7. शिकायत की जांच का ढंग –</li> <li>(1) शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छा प्रतियों में से एक प्रति साय ति को प्रवित्त प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रति ये प्रत्य के भीतर प्रत्यधी को भेजेगी।</li> <li>(2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यधी को भेजेगी।</li> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अव<sup>धि के</sup> भीतर दस्तावेजों की स्पाप्त के नाम एवं पता के साथ की स्वातों के नाम एवं पता के साथ के नाम एवं पता के साथ के नाम एवं पता के साथ का अधीन विनिर्द प्रतावेजों की प्राप्त की तारी के से त्या के की अचीन विनिर्देष्ट वस्तावेजों की प्राप्त की तारीख से दस दिन से अनधिक अव<sup>धि के</sup> भीतर दस्तावेजों की प्राप्त की तारी साथ कि तारी के त्या करनी।</li> <li>(3) प्रत्यावेती समीति के जन्या के तिख ते साथ शिकायत पर अथमा उत्तर फाइल करेगा।</li> <li>(4) शिकायत समिति ने जाय के सिद्धातों के जनुसार शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर ए कि पक्षित ने जाधिका होगा</li> </ul>		. (ii) <u>-</u>	जहां व्यथित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा	म
<ul> <li>(ख) कोई विशेष शिक्षक; या</li></ul>	2			+
<ul> <li>(ग) कोई आहँत मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक, अथवा</li> <li>(घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही हैं, अथवा</li> <li>(ङ) उसके नातेदार या दोस्त या विशेष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा यदित जिसे लैगिक उत्पीड़न की जानकारी है।</li> <li>(ii) जहां व्यथित महिला, किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है।</li> <li>(iii) जहां व्यथित महिला कि सी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।</li> <li>(iv) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकेगी ।</li> <li>7. शिकायत की जांच का ढंग –</li> <li>(1) शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साधियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।</li> <li>(2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।</li> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्त की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि <sup>के</sup> भीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।</li> <li>(4) शिकायत समिति ने लॉगिक न्याय के सिद्धातों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समापत करने से पर प्राक्त करि जांच के जांच करेगी।</li> </ul>	1			
<ul> <li>(घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है; अथवा.</li> <li>(ङ) उसके नातेदार या दोस्त या विशेष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तैंगिक उत्पीड़न की जानकारी है।</li> <li>(iii) जहां व्यथित महिला, किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।</li> <li>(iv) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायतत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वास्ति की सम्मति से जिस की लायत फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।</li> <li>7. शिकायत फाइल करते समय, घारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।</li> <li>(2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।</li> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से आनंधिक अवधि के भीतर यत्ताकों की मांस सोक्त तथा साक्षियों के नाम एवं पता के सुची तथा साक्षियों के जनुसार शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(4) शिकायत समिति ने जांच की कार्यवाही समारत करने या शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।</li> </ul>				
<ul> <li>(ङ) उसके नातेदार या दोस्त या विशेष शिक्षक या अर्हता-प्राप्त मनोविकार विझानी या मनोवैज्ञानिक या संसक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लैगिक उत्पीड़न की जानकारी है।</li> <li>(iii) जहां व्यथित महिला, किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।</li> <li>(iV) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।</li> <li>7. शिकायत की जांच का दंग –</li> <li>(1) शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।</li> <li>(2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेकेगी।</li> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर दस्तावेजों की सुची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।</li> <li>(4) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा पा प्रच्ली पर प्राप्त होनी कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत की जांच करेगी।</li> </ul>	6			:
अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लॅगिक उत्पीड़न की जानकारी है। (iii) जहां व्यथित महिला किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है। (iV) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकेगी । 7. शिकायत की जांच का ढंग – (1) शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा। (2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी। (3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के मीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा। (4) शिकायत समिति नैसॉर्गक न्याय के सिदातों के अनुसार, शिकायत कीं जांच करेगी। (5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकती या प्रत्थर्षी प्राप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार				
द्वारा शिकायत फाइल को जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है। (iV) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकेगी । 7. शिकायत की जांच का ढंग – (1) शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा। (2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी। (3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा। (4) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी। (5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रवर्णी प्राप्त राज्य के स्वाईल स्वर्ग के जांच करेगी।		· ·	अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयक्त रूप से कोई ऐसा	
सम्मात स लिखित रूप म फोइल को जो सकेगा । 7. शिकायत की जांच का ढंग — (1) शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा। (2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी। (3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा। (4) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी। (5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रवर्थी प्राप्ति		(iii)	द्वारा शिकायत फाइल की जा सकेती हैं, जिसे घटना की जानकारी है।	
<ul> <li>(1) शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।</li> <li>(2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।</li> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यार्थी की मोजेगी।</li> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।</li> <li>(4) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रवर्णी प्राप्ति करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार</li> </ul>	* s•	(iv)	जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकेगी ।	
<ul> <li>(2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।</li> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।</li> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।</li> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।</li> <li>(4) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रवर्णी प्राप्ति नजन्मी प्राप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार</li> </ul>	7.	. 1		
<ul> <li>(2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।</li> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।</li> <li>(4) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रवर्णी प्राप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार</li> </ul>		;	(1) शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।	in the second
<ul> <li>(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।</li> <li>(4) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रवर्णी प्राप्ति करने गा</li> </ul>			2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के आधीन उपरिप्त प्रे	
<ul> <li>(4) शिकायत सामात नसागक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।</li> <li>(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधि<sup>कार</sup> होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यूक्षी प्रार्णन जनजा के लिलायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधि<sup>कार</sup></li> </ul>		•	(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तुम्लाकेनों की प्राप्ति की जन्म ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
(5) शिकयित सामात को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यूष्टी प्रार्णन जनकर के वि			(4) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किस्ताय ने जन्म	
होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी पर्याप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधि <sup>कार</sup> आयोजित लगातार तीन सुनवाइयों में अनुपस्थित रहता है या रहती है :			(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यतानी जांचन	
	, 	*	होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी पर्याप्त कारण के बिना यथास्थिति अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी हारी आयोजित लगातार तीन सुनवाइयों में अनुपस्थित रहता है या रहती है	

r

.

I.

ग) के प्रयोजन के संबंधित मुद्दों पर

जो महिलाओं के के लिए अनुकूल

(दो सौ पचास

ीय समिति के दार होंगे और ा पर उसके -

लेखित द्वारा

खेत द्वारा

संरक्षक ई ऐसा

व्यक्ति

स की

ाक्षियों

एक

ो को

हार तरा

[]- অण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण परंतु संबंधित पक्षकार को अग्रिम में लिखित रूप में पन्द्रह दिन का नोटिस दिए बिना ऐसी समाप्ति या एक पक्षकारों को शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी चरण में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए (6)किसी विधिक व्यावसायी को लाने की अनुमति नहीं होगी। जांच का संचालन करते समय, शिकायत समिति के कम से कम तीन सदस्य जिसमें यथास्थिति पीठासीन (7)जांच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष : व्यथित महिला के लिखित रूप में अनुरोध पर, शकायत समिति नियोक्ता से निम्नलिखित की सिफारिश कर सकती है : व्यथित महिला के कार्य निष्पादन या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने तथा इसे किसी अन्य अधिकारी को (क) आबंटित करने से प्रत्यर्थी को अवरुध करना । (ख) शैक्षिक संस्था के मामले में व्यथित महिला की किसी शैक्षिक गतिविधि का पर्यवेक्षण करने से प्रत्यर्थी को अवरुध करना । लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की रीति : ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां सेवा नियम विद्यमान हैं जहां 9 9. शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अमिकथन साबित हो गए हैं, यह यथास्थिति नियोक्ता या जिलाधिकारी से कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है जिसमें लिखित रूप में क्षमा याचना करना, चेतावनी जारी करना, डांटना या निंदा करना, प्रोन्नति रोकना, वेतनबढ़ोत्तरी या वेतनवृद्धि रोकना, प्रत्यर्थी को सेवा समाप्ति करना या परामर्श सत्र में भाग लेने या सामुदायिक सेवा करने का आदेश देना शामिल है। मिथ्या अथवा दुर्मावपूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई : उन मामलों के सिवाय जहां सेवा नियम 10. विद्यमान हैं, जहां शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन दुर्मावपूर्ण है अथवा व्यथित महिला अथवा शिकायत करने वाली अन्य किसी व्यक्ति ने यह जानते हुए कि यह मिथ्या है शिकायत की है अथवा व्यथित महिला या शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति ने कूटरचित अथवा भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तो यह यथास्थिति नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को नियम 9 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी । अपील : धारा 18 के उपबंधों के अधीन, धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन या घारा 13 की उप-घारा (3) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन अथवा धारा 14 की उपधारा (1) या उप-धारा (2) या धारा 17 के अधीन की गयी सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यधित कोई व्यक्ति औद्योगिक चियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की पारा-2 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित अपीली प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। धारा 16 के उपबंधों के उल्लंधन के लिए दंड - धारा 17 के उपबंधों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति धारा 16 के उपबंधों का उल्लंधन करता है, तो नियोक्ता ऐसे व्यक्ति से शास्ति के रूप में पांच हजार रूपये की राशि की वसूली करेगा । कार्यशालाएं आदि आयोजित करने की रीति : धारा 19 के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक नियोक्ता.-कार्यरथल पर लैंगिक उत्पीड़न के प्रतिशेध, निवारण एवं प्रतितोष के लिए एक आंतरिक नीति या चार्टर या संकल्प या घोषणा तैयार करेगा तथा उसका व्यापक प्रसार करेगा, जिसका आशय लिंग संवेदी सुरक्षित भगरत भा भाषणा राषार भरता तथा उराषय भाषन राषा करना है, जो महिलाओं के विरुद्ध प्रतिकूल स्थानों को बढ़ावा देना तथा ऐसे अंतर्निहित कारकों का निवारण करना है, जो महिलाओं के विरुद्ध प्रतिकूल (क) आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए, प्रबोधन कार्यक्रमों एवं सेमिनारों का क्रियान्वयन करेगा; कर्मचारी जागरुकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा तथा संवादों के लिए मंच का सृजन करेगा जिसमें पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम सभा, महिला समूह, भातृ समितियां, किशोर समूह, शहरी स्थानीय निकाय तथा (ख) कोई अन्य निकाय, जिसे आवश्यक समझा जाए, अंतर्वलित हो सकते हैं; (ग) आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण एवं कौशल निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करेगा; आंतरिक समिति के सभी सदस्यों के नामों एवं संपर्क के ब्यौरों की घोषणा करेगा; अधिनियम के उपबंधों के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए, कार्यशालाओं एवं जागरूकता कार्यलग करेगा। (घ) कार्यक्रमों के आयोजन के लिए, राज्य सरकारों द्वारा विकसित मापदंडों का उपयोग करेगा। (ন্ড) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना : वार्षिक रिपोर्ट जिसे धारा 21 के अंतर्गत शिकायत समिति द्वारा तैयार किया जाएगा, अखित ब्यौफे चरेने

31/2

में निम्नलिखित ब्यौारे होंगे : (क) वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या;

(र) ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौसन निस्तारण किया गया;

ऐसे मामलों की संख्या जो नब्बे दिन से अधिक अवधि तक लंबित हैं:

(ग)

[PART I]-SEC. 3(i

Actio Comp!

39.

3.

14.

Sec

der sut

sub-se

(घ) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्या;

(ङ) नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप।

[फा. सं. 19-5/2013-डब्ल्यूडब्ल्यू ieved

डॉ. श्रीरंजन, संयुक्त स<sub>विommen</sub>

### MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 9th December, 2013

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Sexual Harassment of Women a the ap Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), the Central Government hereby makes the 46 (20 following rules, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Sexual Harassment of Women at erson of Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires,- .

- (a) "Act" means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);
- (b) "complaint" means the complaint made under section 9;
- (c) "Complaints Committee" means the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be;
- (d) "incident" means an incident of sexual harassment as defined in clause (n) of section 2;
- (e) "section" means a section of the Act;

2.

6.

- (f) "special educator" means a person trained in communication with people with special needs in a way that addresses their individual differences and needs;
- (g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Fees or allowances for Member of Internal Committee.- (1) The Member appointed from amongst nongovernment organisations shall be entitled to an allowance of two hundred rupees per day for holding-the proceedings of the Internal Committee and also the reimbursement of travel cost incurred in travelling by train in three tier air condition or air conditioned bus and auto rickshaw or taxi, or the actual amount spent by him on travel, whichever is less.

The employer shall be responsible for the payment of allowances referred to in sub-rule (1).

4. Person familiar with issues relating to sexual harassment.- Person familiar with the issues relating to sexual harassment for the purpose of clause (c) of sub-section (1) of section 7 shall be a person who has expertise call issues relating to sexual harassment and may include any of the following:-

- (a) a social worker with at least five years' experience in the field of social work which leads to creation
  of societal conditions favourable towards empowerment of women and in particular in addressing
  workplace sexual harassment;
  - (b) a person who is familiar with labour, service, civil or criminal law.

1. Fees or allowances for Chairperson and Members of Local Committee.- (1) The Chairperson of the Local Committee shall be entitled to an allowance of two hundred and fifty rupees per day for holding the proceedings of the said Committee.

(2) The Members of the Local Committee other than the Members nominated under clauses (b) and (d) of sub-section (1) of section 7 shall be entitled to an allowance of two hundred rupees per day for holding the proceedings of the said Committee and also the reimbursement of travel cost incurred in travelling by train in three tier air condition or air conditioned bus and auto rickshaw or taxi, or the actual amount spent by him on travel,

The District Officer shall be responsible for the payment of allowances referred to in sub-rules (1) and (2).

Complaint of sexual harassment. - For the purpose of sub-section (2) of Section 9,-

i) where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical incapacity.<sup>8</sup> complaint may be filed by-

THE	GAZETTE			
	GAZETTE	OF	IND: A	

SEC. 3(i)

en at

s the

n at

al)

13.

DIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

Action for false or malicious complaint or false evidence. Except m'cases where service rules exist, where e Complaints Committee arrives at the conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the e Complaints commander person making the complaint has made the complaint knowing it to be false or the sit may ggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false or the ggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document, it may income of ggrieved woman employer or District Officer, as the case may be, to take action in accordance with the provisions of सचिव rule 9.

Appeal- Subject to the provisions of section 18, any person aggrieved from the recommendations made 11. Appear (2) of section 13 or under clauses (i) or clause (ii) of sub-section (3) of section 13 or sub-section (1) of section 14 or section 17 or non-investment (2) of section 14 or section 17 or non-investment (2) of section 13 or sub-section (1) under sub-section (2) of section 14 or section 17 or non-implementation of such recommendations may prefer an appeal or sub-section (c) to the appellate authority notified under clause (a) of section 2 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946).

Penalty for contravention of provisions of section 16.- Subject to the provisions of section 17, if any 12. person contravenes the provisions of section 16, the employer shall recover a sum of five thousand rupees as penalty from such person.

Manner to organise workshops, etc .- Subject to the provisions of section 19, every employer shall-

- (a) formulate and widely disseminate an internal policy or charter or resolution or declaration for prohibition, prevention and redressal of sexual harassment at the workplace intended to promote gender sensitive safe spaces and remove underlying factors that contribute towards a hostile work environment against women;
- (b) carry out orientation programmes and seminars for the Members of the Internal Committee;
- (c) carry out employees awareness programmes and create forum for dialogues which may involve Panchayati Raj Institutions, Gram Sabha, women's groups, mothers' committee, adolescent groups, urban local bodies and any other body as may be considered necessary;
- (d) conduct capacity building and skill building programmes for the Members of the Internal Committee;
- (e) declare the names and contact details of all the Members of the Internal Committee; (f) use modules developed by the State Governments to conduct workshops and awareness programmes
- for sensitising the employees with the provisions of the Act.

Preparation of annual report.- The annual report which the Complaints Committee shall prepare under

14.

Section 21, shall have the following details:-(a) number of complaints of sexual harassment received in the year;

- (b) number of complaints disposed off during the year;
- (d) number of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out;
- (e) nature of action taken by the employer or District Officer.

[F. No. 19-5/2013-WW]

Dr. SHREERANJAN, Jt. Secy.

Ĩ.\*• ----₩

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

	मारत का राजपत्र भारत का राजपत्र	: असाधारण
<u>_</u>	मु II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र	
$\sim$	(a) her relative or friend; or	
<u> </u>	dia hon co montron on	and Commission; or
· · · ·	(a) an officer of the National Commission	for Women or State Women's Commenced woman;
$(22 - 12^3)$	(C) an officer of the National Commission	n for Women or State Women's Commission; or incident, with the written consent of the aggrieved woman;
		make a complaint on account of her mental incapacity, a
	(ii) where the aggrieved woman is unable to	make a complaint on the
	complaint may be filed by-	
	(a) her relative of friend; or	
	(b) a special educator; or	at: Or
	(c) a qualified psychiatrist or psychologi	st, of
	the second s	CALC SHU IN THE OF THENIT OF A SPORT
2	(e) any person who has knowledge of	the incident jointly what authority under whose care she is
21	educator or qualified psychiatrist or	psychologist, or guardian of an and a
n., 18	receiving treatment or care;	the incident jointly with her relative of more she is psychologist, or guardian or authority under whose care she is
- 1 - y e	receiving treatment of care,	leist a complaint may be
16 and		her reason is unable to make a complaint, a complaint may be of the incident, with her written consent;
<del>.</del>	(iii) where the aggrieved woman for any our	the incident with her written consent;
	(iii) where the aggrieved woman for any oth filed by any person who has knowledge	OI the montents when the
	Tree of multiplication	or the theorem of the by any person who has knowledge of the legal heir.
14 D	the appropriate dwoman is dead, a co	omplaint may be filed by any period
	(iv) where the aggreeved women of her	legal heir.
	incluent, with the	the time of fling uic
	(1) 5	biect to the provisions of section 11, at any laint along with
	7 Manner of inquiry into complaint (1) St	bject to the provisions of section 11, at the time of the provisions of section 11, at the time of the mplaints Committee, six copies of the complaint along with the witnesses.
	complaint, the complete and the names and addresses of	the winesses.
•	supporting documents and	h u cond one of the copies received in
	the complaint the Comp	laints Committee shar working days.
· :	(2) On receipt of the completing responden	t within a period of seven working
	aggine to	the complaint along with his list of documents, and hands and ng ten working days from the date of receipt of the document
	(3) The respondent shall file his reply to	ng ten working days from the date of recer
	(5) The set within a period not exceed	ng ton
	addresses of whilesses, (1)	with the principles
	specified under sub-rule (1).	te inquiry into the complaint in accordance with the principles of
• . • . •	a lainte Committee shall mak	e inquiry into the second
	(4) The Complaints Community	
	natural justice.	the inquiry proceedings or to give all
	natural justices	ve the right to terminate une inquisit present herself
	The Complaints Committee shall ha	ve the right to terminate the inquiry proceedings or to give an e or respondent fails, without sufficient cause, to present herself the Chairperson or Presiding Officer, as the case may be: or ex-parte order may not be passed without giving a notice
	(5) the complaint, if the complainant	the Chairperson or Presiding Officer, as the case may
	parte decision on the complete hearings convened by	or ex-parte order may not be passed without giving a notice med.
• • • •	himself for three consecutive neuro	ander may not be passed without giving a notice
	Provided that such termination writing, fifteen days in advance, to the party concer	med.
100	Effern days in advance, to the party contest	to represent them in their case at
	writing, titteen our of and	bring in any legal practitioner to represent the
	11 - of he allowed to	
	(6) The parties shall not be allowed to stage of the proceedings before the Complaints Co	nned. bring in any legal practitioner to represent them in their case at mmittee. num of three Members of the Complaints Committee including nay be, shall be present.
	store of the proceedings before the	and the Members of the Complaints Committee including
0		
	(7) In conducting the inquiry, a the case n	nay be, shall be present.
	(1) In the Chairperson, as the case in	my Complaints Committee at the w
1	(7) In conducting the inquiry, a minim Presiding Officer or the Chairperson, as the case n	nay be, shall be present. <b>pendency of inquiry.</b> The Complaints Committee at the with to the employer to- ting on the work performance of the aggrieved woman or writing ting on the work performance of the aggrieved woman or writing ting on the work performance of the aggrieved woman or writing ting on the work performance of the aggrieved woman or writing ting on the work performance of the aggrieved woman or writing ting on the work performance of the aggrieved woman or writing the state of the state of the aggrieved woman or writing the state of the state of the state of the aggrieved woman or writing the state of the
	use to complainant during	the employer to-
1	Other relief to comman may recommend	to the work performance of the aggrieved woman or wind
1	8. Other relief to complainant during request of the aggrieved woman may recommend (a) restrain the respondent from report	ting on the work perform
1.	(a) restrain the respondent is ond action the	pendency of inquiry to to the employer to- ting on the work performance of the aggrieved woman or writin same to another officer; educational institution from supervising any academic activ
4	confidential report, and assign the	an educational institution from super rising
1	(b) restrain the respondent in case of	ting on the work perior manor and the same to another officer; an educational institution from supervising any academic activities and educational institution from supervising activities and educational institution from supervising activities activities activities activities and educational institution from supervising activities activitities activities activities activities activit
	(b) restrain the woman.	<b>harassment.</b> Except in cases where service rules exist, when n that the allegation against the respondent has been proved, it as the case may be, to take any action including a written approximation are as the case may be, to take any action including a written approximation and the second seco
3	the aRRiverse	<b>harassment.</b> Except in cases where service rules exist, when n that the allegation against the respondent has been proved, it ber, as the case may be, to take any action including a written appropriate the formation of the service of increments, termination
	stabling action for sexual	harassing against the respondent has been proves
	9. Manner of taking active the conclusion	that the allegation against the any action including a written appendix as the case may be, to take any action including a written appendix as the case may be, to take any action including a written appendix to the case of
10	ittee arrives at out and	the case may be to the termination termination

1.1

Complaints Committee arriver the District Officer, as the case may be, to the pay rise or increme recommend to the employer or the District Officer, as the case may be, to the pay rise or increme warning, reprimand or censure, withholding of promotion, withholding of pay rise or increme warning, reprimand or censure, withholding a counselling session or carrying out community service.

5155 @[]13-



### GOVERNMENT OF GOA DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION ADMINISTRATION SECTION

NO. 1/3/78/DTE/2002/594 02/05

761c

### ORDER

The undersigned is pleased to reconstitute the Internal Complaints Committee in accordance with Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal )Act, 2013, comprising of the following members, for the period of 3 years w.e.f. date of issue of this order.

- Ms. Neeta V. Naik (8668288803) ---- Presiding Officer 1. Assistant Director (CAD), Directorate of Technical Education, Porvorim Member 2. Smt. Classie B. Monterio Asst. Secretary, Board of Technical Education, Porvorim Member 3. Adv. Maria Simone Judith Correia - Flat No. T-4, Building No. 5B, Models Status, Near Goa University, Taleigao-Goa Member
- Smt.Shilpa V. Korgaonkar 4. Head Clerk Directorate of Technical Education, Porvorim

W4 and

(Dr. Vivek B. Kamat) Director of Technical Education

To, The above members.

- 1. The Directorate of Women & Child Development, 2<sup>nd</sup> floor, Old Education The Chairperson, Goa State Commission for Women, Junta House, 3<sup>rd</sup> Lift, 4<sup>th</sup>
- Floor, 18th June Road, Panaji -Goa
- 3. All Section Officer of DTE. 4/\_Personal files of concerned Officers.
- Office copy
- 6. Guard file

TECHNICAL EDUCATION COMPLEX, ALTO-PORVORIM. BARDEZ, GOA 403521, PH.2412145 FAX 2415108